आलमगीर राज्य बनाम

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

आदेश–पत्रक आलमगीर फैजी

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 08/08/16 से तक

जिला– बोकारो केश सं0– 11/2016

केश का प्रकार– Confiscation case

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08/08/16	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बी0एस0सिटी, बोकारो के पत्रांक–62/आ0, दिनांक–30.05.2016 के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा– 7 के अन्तर्गत जब्त किए गए किरासन तेल अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बी0एस0सिटी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना माराफारी द्वारा आलमगीर फैजी उर्फ निहाल मल्लिक पिता स्व0 मौलवी अली हसन, सा0 आजाद नगर, थाना–माराफारी, जिला बोकारो के घर कुरकी निरीक्षण के समय एक कमरा में तीन टिना के ड्रम में लगभग 500 (पॉच सौ) ली0 नीला रंग का किरासन तेल एवं तीन बड़ा खाली गैलन पाया गया। जिसके संदर्भ में उनके पास कोई कागजात नहीं था। 500 (पाँच सौ) लीटर ब्लु रंग का किरासन तेल कालाबाजारी करने के उद्देश्य से अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इसके लिए आलमगीर फैजी उर्फ निहाल मल्लिक पिता स्व0 मौलवी अली हसन, सा0 आजाद नगर, थाना– माराफारी, जिला बोकारो के विरूद्ध किरासन तेल कालाबाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम– 1955 की धारा– 7 के तहत माराफारी थाना कांड संख्या–19/2016 दिनांक–27.05.2016 दर्ज किया गया। जब्त किरासन तेल अधिक मुनाफा कमाने हेतु कालाबाजारी के लिए अवैध रूप से रखा गया था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अनुज्ञा एकीकरण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। चूँकि किरासन तेल नाशवान वस्तु है एवं एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहने से सहज ही नष्ट होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) (2) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि जब्त किरासन तेल को नियमानुसार शीघ्र बिक्री करवाने की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी, चास अपनी देख–रेख में सुनिश्चित करेंगे तथा प्राप्त राशि नजारत में जमा रखेंगे। तदनुसार आदेश निर्गत करें। माराफारी थाना मे दर्ज प्राथमिकी धारा–7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अतः Ray	13/09/16 14/10/16

आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक–13/09/16 को 11.00 बजे पूर्वाह्न स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं अनियमितता के कारण जब्त किरासन तेल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 (ए) के अन्तर्गत अधिहरण कर लिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Roy 8/8/16
समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Roy 8/8/16
समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

13/09/16
14/09/16

अवकाश घोषित हो जाने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका।
To 14/10/16
प्रभारी पदा०

14/10/16

पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
To 25/11/16

25/11/16

प्र० आ० पदा० बी०एस०ओ० के पत्रांक 113 दिनांक 04/10/16 से प्रतिवेदन प्राप्त।
पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त
To 09/12/16
प्रभारी पदा०

09/12/16

प्र० आ० पदा०, बी० एस० ओ० के पत्रांक 113 दिनांक 04/10/16 से प्रतिवेदन प्राप्त।
विपक्षी अनुपस्थित।
पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
To 27/12/16
प्रभारी पदा०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
27/12/16	विपक्षी अनुपस्थित। जीवानीत पदा० प्रस्तुत करने हेतु स्थगित। To 31/01/17 [signature] प्रभारी पदा०	
31/01/17	विपक्षी अनुपस्थित। जीवानीत पदा० प्रस्तुत करने हेतु स्थगित। To 03/02/17 [signature] 31/1/17 प्रभारी पदा०	
03/02/17	विपक्षी अनुपस्थित। जीवानीत पदा० प्रस्तुत करने हेतु स्थगित। To 31/03/17 [signature] 3/2 प्रभारी पदा०	
31/03/17	विपक्षी अनुपस्थित। जीवानीत पदा० प्रस्तुत करने हेतु स्थगित। To 02/05/17 [signature] प्रभारी पदा०	
02/05/17	विपक्षी अनुपस्थित। Put up on 16/05/17 [signature]	
16/05/17	विपक्षी अनुपस्थित। - Order passed on default due to non-appearance - Confiscation of material [signature] 16/5/17	73/न्या० to 30/05/17 to MO - B.S. city.

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.03.07 16:02:57 +05:30
Location: 192.168.1.104